कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)
Ph.No. :- (O)07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E_Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0 / मा.चि. / न0क्र0–125 / 2021 1600 अम्बिकापुर, दिनांक 22/3/2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Manendragarh Division "Bharatnet project which is a GOI initiative. Under this project, Connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic Fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber of 32,466 KM will involve 26 districts across the State" Area-5.612 ha.-regarding.**
पंजीयन क्रमांक–FP/CG/OFC/43276/2019

संदर्भ :– 1. छ0ग0 शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्र. / एफ 5–8 / 2021 / 10–2 दिनांक 02.03.2021
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) छ0ग0 रायपुर छ0ग0 का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विविध / 115–837 / 733 दिनांक 12.03.2021
3. आपका पत्र क्र. / त.अ. / 2021 / 817 दिनांक 18.03.2021

—00—

विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण में छ0ग0 शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रायपुर एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) छ0ग0 रायपुर के क्रमशः संदर्भित पत्र–1 एवं 2 द्वारा पूर्व प्रेषित व्यपवर्तन प्रस्ताव पर 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है।

उपरोक्तानुसार वांछित 3 बिन्दुओं की जानकारी आपके संदर्भित पत्र–3 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

उक्तानुसार प्रस्तुत जानकारी में निम्नानुसार कमियां पाई गई है :–

1. बिन्दु क्र0 1 द्वारा वांछित अतिरिक्त जानकारी के प्रत्युत्तर में आपके द्वारा लेख किया गया है कि प्रस्ताव के पृष्ठ क्र0 53 (वनमण्डलाधिकारी की अनुशंसा संबंधी भाग–2) के बिन्दु क्र0 VI में घनत्व 0.6 से अधिक लेख है। तद्नुसार संदर्भित पत्र में उक्त संशोधन भू–प्रबंध कार्यालय रायपुर द्वारा किया जावेगा।

   उक्तानुसार उत्तर के परिप्रेक्ष्य में क्या वनमण्डलाधिकारी की अनुशंसा संबंधी भाग–2 में त्रुटियों में परिवर्तन / सुधार वनमण्डलाधिकारी द्वारा न किया जाकर वरिष्ठ कार्यालय द्वारा किया जावेगा ? यदि त्रुटि सुधार / परिवर्तन हेतु वनमण्डलाधिकारी सक्षम है तो आपके द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

   सक्षमतानुसार उपरोक्त बिन्दु पर अतिरिक्त जानकारी हेतु त्रुटि सुधार कर कार्यवाही कर स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करें।

Scanned with CamScanner

2. बिन्दु क्र0 2 एवं 3 द्वारा वांछित अतिरिक्त जानकारी के संदर्भ में आपके द्वारा त्रुटियों का सुधार कर जानकारी पत्र के साथ संलग्न किया जाना लेख किया गया है किन्तु संलग्नक अप्राप्त है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में संदर्भित पत्र–3 मूलतः संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं अनुसार पाई गई कमियों का निराकरण कर संलग्नक के साथ उपरोक्त बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी तत्काल आज ही इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र–3 मूलतः।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

पृ0क्र0 / मा.चि. / न0क्र0– 125 / 2021 1601 **अम्बिकापुर, दिनांक** 22/03/2021
प्रतिलिपि :–

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध)** छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. **मुख्य कार्य पालन अधिकारी,** छ0ग0 इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, सेकेण्ड फ्लोर एस.डी.सी. भवन सिविल लाईन्स रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

Scanned with CamScanner